न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	[illegible] 102/2023	
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible]-1-24 को पेश हो।	
09.01.2024	पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्षकारान उपस्थित । वकील वादी ने प्रतिवादी के सम्मन तामील पर आदेश करने बाबत निवेदन किया । प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील पत्रावली में पेश है । प्रतिवादी की ओर से आज तक कोई उपस्थित नही आया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है । वादी साक्ष्य में गवाहान पांचू राम मीणा, हनुमान के लिखित शुदा शपथ पत्र पेश हुये । शामिल पत्रावली रहे । वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस अंतिम सुने जाने का निवेदन किया । बहस अंतिम सुनी गई । पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19.01.2024 को पेश हो ।	[illegible]
19/1 [illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।	
29.01.2024	पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । प्रकरण मे बहस वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार वादी का वाद बाबत् इस्तकरार हक खातेदारी मय [illegible] एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 29/01/24	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102 / 2023	2023 / 407	28.06.2023	29.01.2024

उनवान

1. बीरबल पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— वादी——

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——प्रतिवादी——

उपस्थित : –

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–1

वादपत्र बाबत इस्तकार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:48 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

संक्षेप में प्रकरण का वि[वरण इस प्रकार है कि] वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि [ख]सरा नम्बर 566 रकबा 0.97है0, खसरा नम्बर 568 / 1 रकबा 1.2350है0, खसरा नम्बर 568 / 2 रकबा 0.055है0, खसरा नम्बर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
29/01/24

568/3 रकबा 0.28है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.54है0 अवस्थित तन ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राज. के हिस्सा 1/12 वादी काबिज खातेदार का तकार चला आ रहा है । उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम भींवाराम पुत्र रामनाथ फकीरा दर्ज चला रहा है । जबकि वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि मे वादी का नाम बीरबल पुत्र रामनाथ नाम दर्ज चला आ रहा है । परन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड मे वादी का नाम भींवाराम दर्ज होने के कारण व आधार कार्ड बैंक पास बुक आदि अन्य समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम बीरबल दर्ज होन के कारण वादी उक्त भूमि पर मिलने वाले सरकारी अनुदान सहायता आदि प्राप्त नही कर पा रहा । इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम भींवाराम की जगह बीरबल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकोर्ड दुरस्त किया जाकर वादी को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । वादी ने उक्त भूमि की खातेदारी दुरस्त करवाने के लिए दिनांक 15.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय के आदेश से उक्त भूमि की खातेदारी दुरस्त करके बाबत अवगत करवाने पर वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिमी हुआ है । वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 566 रकबा 0.97है0, खसरा नम्बर 568/1 रकबा 1.2350है0, खसरा नम्बर 568/2 रकबा 0.055है0, खसरा नम्बर 568/3 रकबा 0.28है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.54है0 अवस्थित तन ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राज. के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम भींवाराम पुत्र रामनाथ की जगह बीरबल पुत्र रामनाथ दुरस्त किया जाकर वादी को उक्त भूमि के 1/12 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित फरमाया जावे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी ने साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–1 के रूप में स्वयं को, पीडब्ल्यू–2 पांचू राम मीणा पीडब्ल्यू–3 हनुमान के मुख्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:31:48 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24 दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये, जिनको शामिल पत्रावली किया। वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, आधार कार्ड, राजस्थान ग्रामीण बैंक टटेरा की वादी की बैंक पास बुक, चिकित्सा सुविधा कार्ड, ग्राम पंचायत किशोरपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2023 आदि इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 566 रकबा 0.97है0, खसरा नम्बर 568/1 रकबा 1.2350है0, खसरा नम्बर 568/2 रकबा 0.055है0, खसरा नम्बर 568/3 रकबा 0.28है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.54है0 अवस्थित तन ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भींवाराम पुत्र रामनाथ के नाम से दर्ज है, जबकि वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम बीरबल पुत्र रामनाथ है। जिसको वादी दुरूस्त करवाकर भींवाराम पुत्र रामनाथ की जगह बीरबल पुत्र रामनाथ करवाना चाहता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से वादी का का वादपत्र स्वीकार होने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 566 रकबा 0.97है0, खसरा नम्बर 568/1 रकबा 1.2350है0, खसरा नम्बर 568/2 रकबा 0.055है0, खसरा नम्बर 568/3 रकबा 0.28है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.54है0 अवस्थित तन ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में भींवाराम पुत्र रामनाथ के नाम दर्ज है जिसेनुसार भूमियों में वादी का नाम भींवाराम पुत्र रामनाथ की जगह बीरबल पुत्र रामनाथ राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:48 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

23/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:48 IST
Reason: SelfAttested